2022 का विधेयक संख्यांक 123

[दि फेमिली कोर्ट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

5

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 1 का संशोधन ।

1984 का 66

2. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह हिमाचल प्रदेश राज्य में 15 फरवरी, 2019 और नागालैंड राज्य में 12 सितंबर, 2008 से प्रभावी रूप से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।"।

नई धारा 3क का अंतःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय कार्रवाईयों का विधिमान्यकरण ।

"3क. (1) हिमाचल प्रदेश राज्य में 15 फरवरी, 2019 से और नागालैंड राज्य में 12 सितंबर, 2008 से प्रभावी कुटुंब न्यायालयों की स्थापना विधिमान्य समझी जाएगी और सदैव विधिमान्य ही समझी जाती रही है, मानो कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करने की अधिसूचना, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी तारीखों से जारी कर दी गई थी ।

(2) कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई, कोई नियुक्ति, निष्पादित किया गया कोई कर्तव्य, बनाया गया कोई नियम, जारी की गई कोई अधिसूचना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

(3) इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व, यथास्थिति, किसी कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रत्येक आदेश और तैनाती, प्रोन्नति, या स्थानांतरण के प्रत्येक आदेश को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया समझा जाएगा ।

(4) कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों के कुटुंब न्यायालयों द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक शक्ति और निष्पादित कृत्य, व्यौहार किया गया प्रत्येक मामला, की गई प्रत्येक कार्यवाही, प्रत्येक आदेश, निर्णय, डिक्री या पारित किया गया प्रत्येक दंडादेश और किया गया प्रत्येक अन्य कृत्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से प्रयोग किया गया, निष्पादित, व्यौहार किया गया, लिया गया, पारित या किया गया समझा जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1983 का 66) को कुटुंब न्यायालय स्थापित करके विवाह और कुटुंब मामलों तथा उससे संबद्ध विषयों में सुलह और विवादों का शीघ्र समाधान हासिल करने का संवर्धन करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) उपबंध करती है कि, "यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी" । उक्त अधिनियम 14 सितंबर, 1984 को प्रवृत्त हुआ है और अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार 26 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, 715 कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की गई है और कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में तीन कुटुंब न्यायालय और नागालैंड राज्य में दो कुटुंब न्यायालय हैं ।

3. तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला, धर्मशाला और मंडी में तारीख 15 फरवरी, 2019 की अधिसूचना द्वारा तीन कुटुंब न्यायालय स्थापित किए हैं और नागालैंड सरकार ने दीमापुर और कोहिमा में तारीख 12 सितंबर, 2008 की अधिसूचना द्वारा दो कुटुंब न्यायालय स्थापित किए हैं । धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन उक्त अधिनियम को इन राज्यों में प्रवृत्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी ।

4. हिमाचल प्रदेश राज्य में कुटुंब न्यायालयों की अधिकारिता के अभाव के मुद्दे को ओंकार शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में 2021 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 180 (सीडब्ल्यूपी संख्या 2571/2021) में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में कुटुंब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने के लिए कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है, ऐसे न्यायालय बिना किसी अधिकारिता के कार्य कर रहे हैं और उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्य प्रारंभ से ही शून्य प्रतीत होता है तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना करने के लिए जारी की गई अधिसूचना अधिकारातीत है, चूंकि उक्त अधिनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवृत्त नहीं था, चुनौती दी गई है, जिसमें भारत संघ को एक पक्षकार बनाया गया है और मामला न्यायालय में लंबित है ।

5. चूंकि हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में कुटुंब न्यायालय अपनी स्थापना की तारीख से ही कार्य कर रहे हैं और राज्य सरकार के साथ कुटुंब न्यायालयों द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को विधिमान्य करना और उनकी व्यावृत्ति करना अपेक्षित है, इसलिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

6. कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022, अन्य बातों के साथ उक्त अधिनियम का संशोधन करके,—

(क) धारा 1 की उपधारा (3) में यह उपबंध अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे 15 फरवरी, 2019 से हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रभावी और 12 सितंबर, 2008 से नागालैंड राज्य में प्रभावी कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का उपबंध ;

(ख) एक नई धारा 3क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे हिमाचल

प्रदेश और नागालैंड राज्य सरकार द्वारा और उन राज्यों में कुटुंब न्यायालयों द्वारा कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ होने से पूर्व उक्त अधिनियम के अधीन की गई सभी कार्रवाईयों को भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य, करने के लिए है ।

7. विधेयक पूर्वोक्त उदेद्श्यों की पूर्ति के लिए है ।

किरेन रीजीजू

नई दिल्ली ;
14 जुलाई, 2022

उपाबंध

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 66) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

* * * * * *